दावा प्रकरण क्रमांक–200 / 2022

Witness No...**01**.... ..For. ... **अनावेदक क्रमांक–03 के साक्षी** .Deposition taken the **22-08-2024** day of Witness's apparent age 43 **वर्ष**

States on affirmation . **शपथपूर्वक** my name is. **चंद्रकांत ध्रुव**

S/of.– **श्री गोर्वधन लाल ध्रुव** occupation.– **शाखा प्रबंधक**

address. **युनाईटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड शाखा जगदलपुर छ0ग0**

01–मैं 11 जुलाई 2023 से युनाईटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड शाखा जगदलपुर में शाखा प्रबंधक के पद पर पदस्थ हूं।

02– बीमा पॉलिसी क्रमांक–2701023121पी104106107 के द्वारा दिनांक 02.08.2021 से 01.08.2022 तक की अवधि के लिये हमारी कंपनी के द्वारा टाटा मोटर एलपीटी 2515 ट्रक क्रमांक–सी0जी0 17 एच 4815 वाहन के लिये भास्कर जोशी के पक्ष में बीमा पॉलिसी जारी की गयी थी। यह पॉलिसी सामान ढोने के लिये वाणिज्यिक वाहन के लिये पैकेज पॉलिसी थी। उक्त पॉलिसी का ट्रांसफर दिनांक 24.08.2021 को ज्योतिश्वर कुरूप के नाम पर अंतरित की गयी थी। जो दिनांक 24.08.2021 से दिनांक 01.08.2022 तक प्रभावशील थी। प्रमाणित बीमा पॉलिसी जो **प्र0एन0ए0–1** है, जिसके अंश अ से अ भाग पर तात्कालीन कार्यालय प्रभारी रजनीकांत साहू के हस्ताक्षर है, जिसे मैं पहचानता हूं। पॉलिसी अंतरित किये जाने के लिये किया गया भुगतान की रसीद **प्र0एन0ए0–2** है। उक्त पॉलिसी ज्योतिश्वर कुरूप को अंतरित किये जाने का प्रमाण पत्र **प्र0एन0ए0–3** है।

03–संबंधित प्रकरण में वाहन से संबंधित दस्तावेज पेश करने के लिये ज्योतिश्वर कुरूप को बीमा कंपनी द्वारा रजिस्टर्ड नोटिस दिया गया, दी गयी नोटिस **प्र0एन0ए0–4** है तथा उक्त नोटिस के संबंध में हमारे कार्यालय के आवक जावक पंजी में उल्लेख है पंजी की प्रमाणित प्रति प्रकरण में पेश है, जो **प्र0एन0ए0–5** है। पोस्टल रसीद मूल **प्र0एन0ए0–6** है। मैंने प्रकरण में वाहन की आर0सी0 पार्टिकुलर, अमरेन्द्र कुमार दीक्षित द्वारा वाहन स्वामी को प्रेषित नोटिस और पोस्टल रसीद की छायाप्रति प्रकरण में संलग्न किया हूं।

04–उक्त नोटिस द्वारा कार्यालय ने बीमा धारक को वाहन एवं वाहन परिचालन से संबंधित दस्तावेज मांगे थे किंतु आज पर्यन्त उक्त दस्तावेज कार्यालय को अप्राप्त है। उक्त वाहन परिचालन हेतु आवश्यक परमिट की मांग भी की

गयी थी किंतु आज पर्यन्त बीमा धारक द्वरा वाहन परिचालन द्वारा आवश्यक परमिट प्रस्तुत नही की गयी है। इस तरह बीमा धारक द्वारा कंपनी को सहयोग नही किया गया है और न ही वाहन परिचालन हेतु मोटरयान अधिनियम के नियमों का पालन नही किया गया है जो कि बीमा पॉलिसी की शर्तो का उल्लघंन है। बीमा पॉलिसी शर्तो एवं नियमों के अनुसार वाहन चालक के पास परमिट होना आवश्यक है परमिट के अभाव में बीमा कंपनी क्षतिपूर्ति राशि भुगतान हेतु जिम्मेदार नही है।

<u>प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री नितिन जैन अधिवक्ता वास्ते</u>
<u>अनावेदक–01 एवं 02</u>

5– यह कहना सही है कि अनावेदक को प्रेषित कंपनी की नोटिस प्राप्त हुयी अथवा नही इस संबंध में कोई अभिस्वीकृति पत्र अथवा डाक का प्रमाण पत्र प्रकरण में पेश नही है। स्वतः कहता है कि अनावेदक को भेजी गयी डाक द्वारा नोटिस हमारे कार्यालय को वापस प्राप्त नही हुयी। यह कहना सही है कि डाक की रसीद में रजिस्ट्री पोस्ट का नम्बर उल्लेखित है। यह कहना सही है कि हमारी कंपनी के द्वारा उक्त रजिस्ट्री पोस्ट को अनावेदक को प्राप्त हुआ अथवा नही इस संबंध में ऑन लाईन चेक नही किया गया है। यह कहना सही है कि प्रेषित पत्र अनावेदक को प्राप्त हुआ अथवा नही इस संबंध में हमारी कंपनी के द्वारा डाक विभाग को पत्राचार कर कोई जानकारी प्राप्त कर प्रकरण में पेश नही किया गया है।

6– यह कहना सही है कि हमारी कंपनी की पॉलिसी मोटरयान अधिनियम के निमयों के अधीन जारी की जाती है। यह कहना गलत है कि जो वाहन खड़ी रहती है चलती नही है उसे परमिट एवं फिटनेस की आवश्यकता नही हेाती है।

7– यह कहना सही है कि मौजूदा मामले में हमारी कंपनी द्वारा अन्वेषक के माध्यम से अन्वेषण का कार्य कराया गया है। यह कहना सही है कि अन्वेषक की रिपोर्ट मौजूदा मामले में प्रकरण में पेश नही किया गया है। यह कहना सही है कि हमारे अन्वेषक ने अन्वेषण में यह पाया था कि दुर्घटना के समय दुर्घटना में संलग्न ट्रक घटना स्थल पर खड़ी थी एवं मृतकगण अपनी मोटर सायकिल से खड़ी ट्रक में जाकर टकरा गये थे। स्वतः कहता है कि अन्वेषक को वाहन के दस्तावेज प्राप्त ही नही हुये थे इसलिए अन्वेषण पूर्ण नही किया जा सका तथा अन्वेषक का प्रतिवेदन हमे प्राप्त नही हुआ।

8– यह कहना सही है कि वाहन से संबंधित दस्तावेज आर0टी0ओ कार्यालय से

प्राप्त किया जा सकता है। यह कहना गलत है कि हमारे कंपनी द्वारा अन्वेषक के माध्यम से आर0टी0ओ0 कार्यालय से दस्तावेज प्राप्त करने का प्रयास नही किया गया है। यह कहना सही है कि अन्वेषण द्वारा आरटीओ कार्यालय से दस्तावेज प्राप्त करने बाबत् किये गये प्रयास में आरटीओ कार्यालय के पत्राचार का कोई पत्र, सूचना के अधिकार के तहत आवेदन, दस्तावेज प्राप्ति हेतु आरटीओ कार्यालय को दिये गये शूल्क के संबंध में कोई दस्तावेज प्रकरण में कोई दस्तावेज पेश नही है। स्वतः कहता है कि अन्वेषणकर्ता द्वारा आरटीओ से प्राप्त आर0सी0 की छायाप्रति संबंधित प्रकरण में संलग्न है, पॉलिसी के शर्तो के अधीन बीमा धारक को दावा की स्थिति में कंपनी का पूर्ण सहयोग करने की बाध्यता दर्शायी गयी है किंतु बीमाकर्ता द्वारा दस्तावेज न दिये जाने के कारण सत्यापन व अन्वेषण पूर्ण नही हो सका।

9– यह कहना गलत है कि पॉलिसी के शर्तो के अधीन बीमा धारक को दावा की स्थिति में कंपनी का पूर्ण सहयोग करने की बाध्यता रहती है ऐसा उल्लेख बीमा कंपनी द्वारा पेश पॉलिसी एवं शर्तो में नही है।

10–यह कहना सही है कि हमारी कंपनी का दावा संबंधी तृतीय पक्षकार के प्रकरणों का मुख्यालय रायपुर कार्यालय में हो गया है। उक्त संबंध में जगदलपुर कार्यालय को अधिकार प्राप्त नही है। यह कहना सही है कि कंपनी के द्वारा पेश जवाबदावा में मेरे हस्ताक्षर नही है। यह कहना सही है कि कंपनी के द्वारा अधिवक्ता को जारी वकालतनामा में भी मेरे हस्ताक्षर नही है। यह कहना गलत है कि रायपुर से संपूर्ण तृतीय पक्ष संबंधी दावा का निष्पादन होता है इसलिए मुझे प्रकरण में कार्यवाही करने तथा साक्ष्य देने के लिये अधिकार नही है। यह कहना सही है कि मुझे आज साक्ष्य देने हेतु रायपुर कार्यालय द्वारा अधिकृत किये जाने के संबंध में कोई पत्र मैं लेकर नही आया हूं। स्वतः कहता है कि मुझे मेल प्राप्त हुआ था।

<u>प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री भुवन विजय जोशी अधिवक्ता वास्ते आवेदकगण</u>

11– यह कहना सही है कि घटना दिनांक को वाहन ट्रक हमारी बीमा कंपनी में बीमित था। यह कहना सही है कि हमारी कंपनी ने उपरोक्त ट्रक वाहन के लिये बीमा पॉलिसी जारी कर तथा तृतीय पक्ष के लिये प्रीमियम लेकर रिस्क कवर किया था। यह कहना सही है कि बीमा की संविदा वाहन स्वामी एवं बीमा कंपनी के मध्य होती है। यह कहना सही है कि बीमा पॉलिसी की शर्ते भी बीमा कंपनी और वाहन स्वामी पर बंधनकारी होती है। यह कहना सही है कि वाहन स्वामी और ड्रायवर को छोड़कर बाकी तृतीय पक्ष में आते है।

12– यह कहना गलत है कि बीमा पॉलिसी जारी करने के पूर्व वाहन स्वामी से वाहन के सभी संबंधित दस्तावेज प्राप्त कर जांच कर बीमा पॉलिसी जारी की जाती है। स्वतः कहता है कि केवल वाहन के स्वामित्व से संबंधित दस्तावेज लिये जाते है। यह कहना गलत है कि बिना दस्तावेजों के भी पॉलिसी प्रभावी होती है और बीमा कंपनी उत्तरदायी होती है। स्वतः कहता है कि आपसी विश्वास में पॉलिसी जारी की जाती है।

वाचित, सत्य स्वीकृत। **मेरे निर्देशन पर टंकित।**

सही/–
(मनीष कुमार ठाकुर)
मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण
बस्तर स्थान–जगदलपुर

सही/–
(मनीष कुमार ठाकुर)
मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण
बस्तर स्थान–जगदलपुर

<u>गवाह के हस्ताक्षर</u>